<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2 अम्बेडकरनगर</u>

उत्तर प्रदेश सरकार बनाम बच्चूलाल आदि
विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 58/2016
मुकदमा अपराध संख्या– 8/2014
धारा– 323, 504 भा0द0सं0
व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
थाना– जहांगीरगंज
जनपद– अम्बेडकरनगर

<u>17–08–2017</u>

1. अभियुक्तगण की ओर से दंण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के अर्न्तगत कागज संख्या 5ब इस आशय के साथ योजित किया गया है कि इस प्रकरण की एन0सी0आर0 थाना जहांगीरगंज में लिखायी गयी थी, जिसके अर्न्तगत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संदर्भ में कोई कथन नहीं किया गया था, किन्तु बाद में सम्बन्धित थाना पुलिस से मिलकर असत्य तथ्यों के आधार पर आरोप पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अर्न्तगत प्रस्तुत किया गया है। जबकि लिखित तहरीर में उल्लिखित है कि दिनांक 7–6–2013 को 9:30 बजे जब मुकदमा वादी बांस कोठी काटने गया था अभियुक्तगण ने काटने से मना कर दिया और आमादा फौजदारी हुए। मुकदमा वादी और उसकी मां जिलेबा देवी को लात घूसों से मारा पीटा जिससे उनके शरीर पर काफी चोटें आयी है। मुकदमा वादी की नाक भी किसी धारदार हथियार से कट गयी। जबकि मुकदमे के वादी द्वारा अभियुक्तगणों के साथ मारपीट की गयी जिसमें सुधीर द्वारा थाना जहांगीरगंज पर मुकदमा कायम कराया गया था, जिसमें श्रवण कुमार, राम आसरे, जिलेबा देवी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। श्रवण कुमार, रामआसरे, जिलेबा देवी का चालान सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा धारा 107, 116 दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत किया गया था। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

2. मैने विद्वान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का परिशलन किया।

3. अभियोजन के अनुसार मुकदमा वादी श्रवण कुमार द्वारा बच्चूलाल पुत्र विश्राम व सुधीर पुत्र बच्चूलाल के विरूद्ध दिनांक 7–6–013 को समय 14:30 बजे पर दिनांक 7–6–2013 समय 9:30 बजे की घटना के संबंध में मौखिक सूचना के आधार पर रिपोर्ट थाना जहांगीरगंज पर अपराध के संबंध में लिखायी गयी थी, जिसके आधार पर एन0सी0आर0 संख्या 104/13 धारा 323, 504 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत पंजीकृत की गयी। मुकदमा वादी श्रवण कुमार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा थाना जहांगीरगंज को विवेचना किये जाने हेतु आदेशित किया गया जो कि पत्रावली पर एन0सी0आर0 कागज संख्या 4अ व प्रार्थना पत्र कागज संख्या 5अ है। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण बच्चूलाल व सुधीर कुमार के विरूद्ध अपराध संख्या 8/14 धारा 323, 504 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है।

4. जिलेबा देवी के शरीर पर आयी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 7–6–2013 को 4:30 बजे अपराहन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर के अर्न्तगत किया गया व श्रवण कुमार की नाक का एक्स–रे में कोई हड्डी की चोट होना नहीं पाया गया।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 18 सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान करता है। धारा 226 के अनुसार जब अभियुक्त व्यक्ति को धारा 209 के अर्न्तगत मामले के सुपुर्द किये जाने के

अनुसरण में न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तब अभियोजक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मामले का कथन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए आरम्भ करेगा कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है।

धारा 227 उन्मोचन का प्रवधान करती है। जो निम्न प्रकार है–

'' **227– उन्मोचन–** यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजो पर विचार कर लेने पर, और इस निमित अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणो को लेखबद्ध करेगा''

6. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार मामले के पत्रावली तथा उसके समक्ष दस्तावेजो पर विचार करने के पश्चात् तथा पक्षकार अभियुक्त तथा अभियोजन के निवेदन पर विचार करने के पश्चात् यदि न्यायाधीश की यह राय है कि अभियुक्त के विरूद्ध कर्यावाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होता तब उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अभियुक्त को उन्मोचित कर दे और ऐसा करने के लिए अपने कारण लेखबद्ध करेगा।

धारा 228 आरोप के विरचित किये जाने सम्बन्धित है जो निम्न प्रकार है–

''**228– आरोप विरचित करना–** (1) यदि उपरोक्त रूप से विचार और सुनवाई के उपरान्त न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा कारने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो–

(क) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह, अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा, मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर सकता है। {या कोई अन्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी तारीख को जो वह सही समझे, अभियुक्त को, यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दे सकेगा, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट} उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारण्ट मामलो के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा,

(ख) अनन्यतः उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह अभियुक्त के विरूद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा।

(2) जहां न्यायाधीश उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है वहां वह आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया और समझाया जायेगा और अभियुक्त से यह पूछा जायेगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है, दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किये जाने का दावा करता है।''

7. धारा 228 उपधारा (1) से यह स्पष्ट है कि ऐसे विचार–विमर्श और सुनवाई के पश्चात् जैसा धारा 227 के अधीन दिया गया है यदि न्यायाधीश यह राय निर्मित करता है कि यह उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है तब अभियुक्त आरोप विरचित कर सकेगा धारा 228 से यह स्पष्ट है कि आरोप विरचित करने के लिए कोई प्रथक सुनवाई का अवसर दिया जाना अपेक्षित नहीं है यदि अभियुक्त मामले की पत्रावली तथा दस्तावेजो पर विचार करने के पश्चात् धारा 227 के अर्न्तगत निवेदनो पर सुनवाई करने के पश्चात् अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता है।

8. धारा 227 तथा धारा 228 द0प्र0सं0 के सापेक्ष परिक्षेत्र पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अमित कपूर बनाम रमेश चन्द एण्ड अदर्स ''2012'' 9 एस.सी.सी. 460 के मामले में निम्न मत अवधारित किया है–

''17. आरोप का विरचन संहिता की धारा 228 के निबन्धनो में विचारण न्यायालय द्वारा अधिकारिता का एक प्रयोग है जब तक अभियुक्त को संहिता की धारा 227 के अर्न्तगत उन्मोचित नहीं किया जाता है इन दोनो प्रावधानो के अर्न्तगत न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मामले की पत्रावली तथा उसके साथ दाखिल दस्तावेजो पर विचार करे और पक्षकारो को सुनने के पश्चात् वह या तो अभियुक्त को उन्मोचित करे या जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि और उसकी राय यह है कि यह उपधारणा करने के आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है तब आरोप विरचित करेगा। जब एक बार धारा के तथ्य तथा आवश्यक तत्व विद्धमान हो तब न्यायालय यह उपधारण करने में उचित होगी कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा तदनुसार

आरोप विरचित करने के लिए आधार है।

18. इस प्रकार उपधारणा कोई विधिकीय उपधारणा नहीं है। अपराध के तत्व विद्धमानता तथा अपराध से सम्बन्धित तत्व ऐसी अधिकारिता के प्रयोग के लिए अनिर्वाय है यह प्रथम दृष्टया मामला की अपेक्षा कमजोर भी हो सकता है संहिता की धारा 227 तथा 228 की भाषा के मध्य एक सूक्ष्म अन्तर है। धारा 227 न्यायालय की निश्चित राय तथा निर्णय की अभिव्यिक्त है, जबकि धारा 228 केवल एक अनुमान है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आरोप विरचित करने की अवस्था में न्यायालय को यह राय निर्मित करनी है कि अभियुक्त निश्चित रूप से अपराध कारित करने का दोषी है जो संहिता की धारा 228 के निबन्धनो में अनुज्ञेय नहीं है।''

19. आरोप विरचित करने की प्रारम्भिक अवस्था में न्यायालय से सबूत का संबंध नहीं होता है अपितू यह उसका एक ठोस संदेह है कि अभियुक्त ने यह अपराध किया है कि जिसका यदि विचारण किया जाये तो वह उसे दोषी साबित कर सकता था। न्यायालय को वह सारी बाते देखनी होती है कि पत्रावली पर सामग्री तथा अन्य अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप है दोषिता का अन्तिम परीक्षण उस अवस्था में लागू नहीं किया जाता हम उस सुस्थापित विधि को निर्दिष्ट करना चाहते है कि जो कि इस न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ बिहार बनाम रमेश सिंह, एस.सी.सी. पृष्ठ 41—42 पैरा 4 के मामले में निम्न मत अवधारित किया है—

4. संहिता की धारा 226 के अर्न्तगत अभियोजन के लिए मामला प्रारम्भ करने के दौरान अभियोजक को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप वर्णित करने होते है और उसे यह भी कथन करना होता है कि किस साक्षी द्वारा वह अपराधि की दोषिता को साबित करने का प्रस्ताव करता है।

9. तत्पश्चात् प्रारम्भिक अवस्था में आते है न्यायालय का एक कर्तव्य है कि वह मामले की पत्रावली तथा उसके साथ दाखिल दस्तावेजो पर विचार करे तथा अभियुक्त और अभियोजन के उस निमित्त निवेदन पत्र पर सुनवाई करे। तत्पश्चात् न्यायाधीश को संहिता की धारा 227 के अर्न्तगत या धारा 228 के अर्न्तगत आदेश पारित करना होता है। यदि न्यायाधीश यह विचार करता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तब वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के लिए वह अपने कारण लेखबद्ध करेगा जैसा धारा 227 में उपबन्धित है।

10. यदि दूसरी ओर न्यायाधीश की यह राय है कि यह उपधारणा करने के आधार है कि अभियुक्त ने एक ऐसा अपराध किया है जो अनन्य रूप से न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब वह धारा 228 में उपबन्धित रूप में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप लिखित में विरचित करेगा। दोनो प्रावधानो का एक साथ अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ में तथा विचारण की प्रारम्भ अवस्था में साक्ष्य की सत्यता, या यर्थाथता तथा प्रभाव जिसे अभियोजक पेश करने का प्रस्ताव करता है परीक्षण अत्यन्त सूक्ष्मता से नहीं करना चाहिए न ही अभियुक्त के संभावय प्रतिरक्षा को कोई महत्व ही दिया जाना चाहिए। विचारण की अवस्था में न्यायाधीश किसी विवरण पर विचार करने तथा किसी संवेदनशील संतुलन को महत्व देने के लिए बाध्य नहीं है कि क्या तथ्य यदि साबित कर दिये जाये तो वह अभियुक्त की निर्दोषिता के लिए महत्वपूर्ण होगी या नहीं।

11. परीक्षण का स्तर तथा निर्णय जिसे अभियुक्त की दोषिता या अन्यथा के संबंध में निष्कर्ष लेखबद्ध किये जाने के पूर्व अन्तिम रूप से लागू किया जाना चाहिए संहिता की धारा 227 या धारा 228 के अर्न्तगत मामले को निर्णित करने के लिए पूरी तरह से लागू नहीं किया जाना चाहिए। उस अवस्था में न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या अभियुक्त की दोषिता के लिए पर्याप्त आधार है या क्या विचारण उसकी दोषसिद्धि में समाप्त होना निश्चित है। यदि मामले में संदेह उत्पन्न होता है तब अभियुक्त के विरूद्ध ठोस विचारण की समाप्ति पर उसकी दोषिता के स्वरूप के स्थान को नहीं ग्रहण कर सकती है।

12. किन्तु प्रारम्भिक अवस्था में यदि ठोस संदेह है जो न्यायालय को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यह उपधारणा करने के आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तब न्यायालय को यह कहने की छूट नहीं है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अभियुक्त की दोषिता की उपधारणा जिसे प्रारम्भिक अवस्था में निकाला जाना चाहिए, कानून के भाव में नहीं है जो फ्रांस में दाण्डिक मामले के विचारण को साशित करते है वहां न्यायालय के विषय में तब तक दोषी होने की उपधारणा की जाती है जब तक उसके विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता है। किन्तु यह केवल प्रथम दृष्टया यह निर्णय लेने के प्रयोजन से है कि क्या न्यायालय को विचारण

के लिए अग्रसर होना चाहिए या नहीं। यदि साक्ष्य को अभियोजक अभियुक्त की दोषिता को साबित करने के लिए प्रस्तावित करता है यदि उसे प्रतिरक्षा साक्ष्य द्वारा प्रतिरक्षा में चुनौति दिये जाने के पूर्व स्वीकार कर लिया जाता है या उसका खण्डन किया जाता है तब वह साक्ष्य यह नहीं दर्शा सकता कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है तब विचारण के लिए कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार नहीं होगा।

13. इस संबंध में दर्शाने वाली परिस्थितियां कोई व्यापक सूची से जो इस निष्कर्ष या अन्यथा के लिए प्रेरित करे, न तो संभव और न ही सुझाव योग्य है। हम केवल एक या दो उदाहरण से न्यायालय की भिन्नता को केवल दर्शित कर सकते है। यदि अभियुक्त की दोषिता या निर्दोषिता के संबंध में मापदण्ड विचारण की समाप्ति पर ही निर्धारित किया जा सकता है तब संदेह के लाभ के सिद्धान्त पर मुकदमे उसके दोष मुक्ति पर समाप्त हो जाना चाहिए। किन्तु यदि दूसरी ओर ऐसा धारा 227 या धारा 228 के अधीन आदेश करने की प्रारम्भिक अवस्था में होता तब ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से जो आदेश दिया जाना चाहिए वह धारा 228 के अर्न्तगत होगा और न की धारा 227 के अर्न्तगत होगा।''

14. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा राकेश बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2009 (67) ए0सी0सी0 191 (इलाहाबाद) लियाकत बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2008 (62) ए.सी.सी. 453 (इलाहाबाद) सचिन सक्सेना उर्फ लक्की बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2008 (62) ए.सी.सी. 454 (इलाहाबाद) अजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2007 (57) ए.सी.सी. 1031 (इलाहाबाद) सुभाष शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2007 (57) ए.सी.सी. 1039 (इलाहाबाद) एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुप्रिटेन्डेन्ट एण्ड रिमेम्बरेन्सर ऑफ लीगल एफेयर ऑफ वेस्ट बेन्गोल बनाम अनिल कुमार भूजा, ए.आई.आर. 1980 (एस.सी.) 52 स्टेट ऑफ बिहार बनाम रमेश सिंह ए.आई.आर. 1977 (एस.सी.) 2018 राजबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2006 (55) ए.सी.सी. 318 (एस.सी.) संगी बदर्स प्रा0लि0 बनाम संजय चौधरी (2018) 10 एस.सी.सी. 681 पलविन्दर सिंह बनाम बलविन्दर सिंह 2009 (65) ए.सी.सी. 399 (एस.सी.) के प्रकरणो में यह मत अवधारित किया गय है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से गम्भीर संदेह पाये जाने की दशा में भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जा सकता है तथा गम्भीर संदेह होने के उपरान्त भी अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकता है।

15. माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2011 (1) डी0एन0आर0 142 अरूण कुमार शर्मा उर्फ कारू बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड एनदर में यह मत अवधारित किया गया है यदि प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है तो अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकता है।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2015 (1) डी0एन0आर0 317 दिनेश तिवारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड एनदर में यह मत अवधारित किया गया है कि–

(1) द0प्र0सं0 की धारा 228 के अर्न्तगत आरोप विरचित करते समय न्यायालय को विस्तृत कारण अभिलिखित करना आवश्यक नहीं है।

(2) यदि न्यायालय इस राय का है कि यह धारण करने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है तो वह ऐसे अपराध के लिए आरोप विरचित करने के लिए सक्षम है भले ही उसका उल्लेख आरोप पत्र में न किया गया हो।

17. पत्रावली पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा मुकदमा वादी श्रवण कुमार व श्रीमती जिलेबा देवी का कथन धारा 161 दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत अभिलिखित किया गया, जिसके अर्न्तगत उनके द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण ने उन्हें सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्दों के साथ अपमानित किया गया है।

18. मुकदमा वादी श्रवण कुमार की नाक का एक्स–रे एवं शरीर पर आई चोटों का चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहांगीरगंज पर 4:15 बजे दिया गया तथा जिलेबा देवी के शरीर पर आयी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहांगीरगंज पर 4:30 बजे किया गया है।

19. मेरी राय में अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 सपठित धारा 34, 504 व धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अर्न्तगत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोप पत्र के साथ संलग्न केस डायरी में होना पाया गया है।

20. मेरी राय में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 5ब अर्न्तगत धारा 227 दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

कागज संख्या 5ब निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति दिनांक 15—11—2017 को पेश हो।

<u>दिनांक : 17.08.2017</u>

(शंकर लाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय कक्ष संख्या—2
अम्बेडकरनगर